माता-पिता और देखरेखकर्ताओं के लिए निलंबन और निषेध करने संबंधी जानकारी

अधिकांश विद्यार्थी यदि हो सके तो सुरक्षात्मक और सकारात्मक तरीके से ही व्यवहार करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकता है, तो आम-तौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें जो करने के लिए कहा गया है, उसे करने में उन्हें मदद की ज़रुरत होती है। हो सकता है कि विद्यार्थी अभी संचार, भावनात्मक या सामाजिक कौशल सीख रहा हो। हो सकता है कि वे अपने कौशल का प्रयोग करने में सक्षम न हों क्योंकि वे निराश, परेशान या अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी मित्रता, सम्मान और समावेशे की अपनी ज़रुरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, परन्तु उन्होंने सर्वश्रेष्ठ तरीके से ऐसा नहीं किया होता है।

निलंबन या निषेध करना कैसे सहायक होता है?

निलंबन और निषेध को दण्ड देने के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है। ये विद्यार्थी के व्यवहार के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाएँ होती हैं जो दूसरों की सुरक्षा और शिक्षा-प्राप्ति को प्रभावित करती हैं।

निलंबन और निषेध करना:

- इससे स्कूलों को हर किसी के लिए शिक्षा-प्राप्ति के सुरक्षित और सकारात्मक स्थान बनने में मदद मिलती है
- इनका प्रयोग तब किया जाता है जब अन्य कदम उठाने से विद्यार्थियों को सुरक्षात्मक व सकारात्मक तरीके से काम करने में मदद न मिली हो
- समस्या का समाधान करने की प्रक्रियाएँ हैं
- इससे विद्यार्थियों, माता-पिता, देखरेखकर्ताओं व स्कूल को यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि भविष्य में विद्यार्थियों का सुरक्षात्मक व सकारात्मक ढंग से व्यवहार करने में समर्थन कैसे करना है।

निलंबन करना क्या होता है?

निलंबन करना:

- किसी विद्यार्थी के ऐसे चिंताजनक व्यवहार पर की जाने वाली अल्पावधि की प्रतिक्रिया होती है जो दूसरों की सुरक्षा व शिक्षा-प्राप्ति को प्रभावित करती है
- इसका अर्थ है कि विद्यार्थी 1 से 5 स्कूली दिनों के लिए स्कूल नहीं जाता है
- इसका फैसला प्रिंसिपल द्वारा लिया जाता है।

निषेध करना क्या होता है?

निषेध करना:

- किसी विद्यार्थी के ऐसे गंभीर व्यवहार पर की जाने वाली दीर्घावधि की प्रतिक्रिया होती है जो दूसरों की सुरक्षा व शिक्षा-प्राप्ति को प्रभावित करती है
- इसका अर्थ है कि विद्यार्थी 4 से 10 कैलेंडर सप्ताहों अथवा शेष स्कूली टर्म के लिए स्कूल नहीं जाता है
- ऐसा केवल तभी किया जा सकता है यदि विद्यार्थी को पहले 1 से 5 स्कूली दिनों के लिए निलंबित किया गया हो
- इसका फैसला प्रिंसिपल द्वारा लिया जाता है।

विद्यार्थी को निलंबित या निषेध किस परिस्थिति में किया जा सकता है?

कानून के अनुसार स्कूल का प्रिंसिपल किसी विद्यार्थी को निलंबित या निषेध कर सकता है। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है यदि प्रिंसिपल को यथोचित आधार पर यह लगता है कि विद्यार्थी ने किसी ढंग से व्यवहार किया है जिससे दूसरों की सुरक्षा और शिक्षा-प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता है।

यह फैसला कैसे लिया जाता है?

प्रिंसिपल निष्पक्ष तरीके से कदम उठाएगा और हर स्थिति पर ध्यान देगा। प्रिंसिपल को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि निलंबन या निषेध करना व्यवहार पर की जाने वाले सबसे उचित प्रतिक्रिया है।

Government of South Australia
Department for Education

अपनी संतान की मदद करने के लिए मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

जो हुआ है उसे समझना हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है।

- शांत रहें
- अपनी संतान के साथ बात करें
- स्कूल के साथ बात करें।

मिलकर, आप योजना बना सकते/सकती हैं:

- अपनी संतान के सुरक्षात्मक व सकारात्मक व्यवहार का समर्थन करने की
- अपनी संतान की शिक्षा-प्राप्ति की।

यह निम्नलिखित का एक भाग होगा:

- डॉयरेक्शन्स कांफ्रेंस
- रिकनेक्शन मीटिंग।

शिकायतें और अपीलें

निलंबन के फैसलों पर अपील नहीं की जा सकती है

यदि आप निलंबन के फैसले के बारे में अपनी संतान के स्कूल के साथ असहमति का समाधान नहीं कर सकते/सकती हैं, तो आप शिक्षा विभाग की उपभोक्ता फीडबैक ईकाई (Department for Education Customer Feedback Unit) को शिकायत कर सकते/सकती हैं।

फोन 1800 677 435 (टोल फ्री)

www.education.sa.gov.au/schoolcomplaint पर उपलब्ध ऑनलाइन शिकायत फॉर्म का प्रयोग करें

निषेध करने के फैसले पर अपील की जा सकती है

आपको डॉयरेक्शन्स कांफ्रेंस (Directions Conference) पर यह पता चलेगा कि निषेध करने के फैसले पर अपील कैसे करनी है। आपको अपील फॉर्म भी मिलेगा। Directions Conference के बाद अपनी अपील जमा करने के लिए आपके पास स्कूली कार्यकाल के 5 दिनों का समय होगा।

याद रखें, अधिकांश विद्यार्थी यदि हो सके तो सुरक्षात्मक और सकारात्मक तरीके से व्यवहार करते हैं। अपनी संतान को उनकी शिक्षा-प्राप्ति में कामयाब होने देने के लिए स्कूल के साथ काम करें।

हमारा लक्ष्य सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित समावेश करना है।

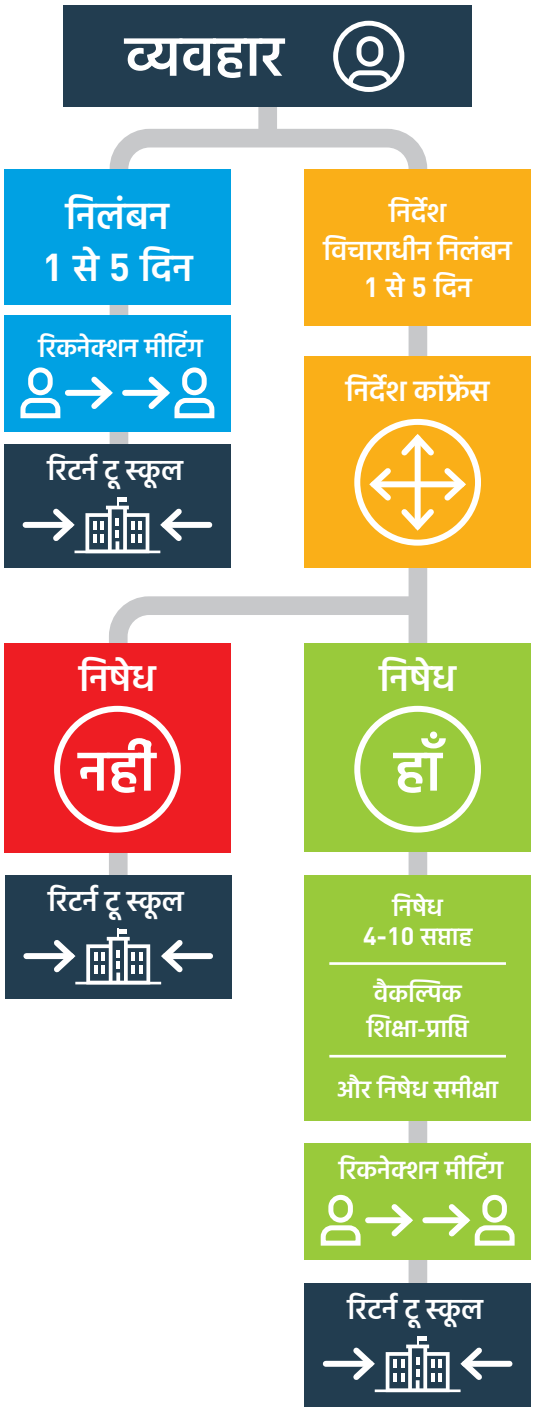

शिक्षा विभाग
Department for Education
31 Flinders Street
Adelaide SA 5000